न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3067/एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 02.03.2015 – पारित व्दारा कलेक्टर जिला जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 281 अ–21/2013–14

मनोजकुमार पुत्र सुखलाल बरकड़े
ग्राम चंदेरी घाट पिपरिया
जिला जबलपुर ---आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
2– इन्द्रजीत सिंह पुत्र सरदार सोहनसिंह
182– नेपियर तहसील व जिला जबलपुर ----अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक क्र–1 की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 18– 9 – 2015 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 281 अ–21/2013–14 में पारित आदेश दि. 2.3.15 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसके स्वामित्व

की ग्राम पिड़रई स्थित भूमि सर्वे कमांक 87 रकबा 0.33 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा गया है) को वह विक्रय करना चाहता है उसके व्दारा रिस्पा0 कमांक 2 से विक्रय अनुबंध कर लिया है । अतः विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण कमांक 281 अ-21/ 2013-14 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर से कराई। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 2.3.15 पारित किया एंव आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर जबलपुर के आदेश दिनांक 2.3.15 के विरूद्ध यह निगरानी न्यायालय मे दिनांक 10.9.15 को प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत है। निगरानी मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि अधोनस्थ न्यायालय ने आदेश की जानकारी नहीं दी , जब आवेदक प्रकरण की जानकारी लेने दिनांक 17.3.15 को कलेक्टर कार्यालय गया तब जानकारी मिलने पर नकल प्राप्त की किन्तु अभिभाषक ने सलाह सही नहीं दी, तब सही सलाह मिलने पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अभिभाषक ने यह भी बताया कि अपीलांट ज्यादा पढ़ा लिखा नही है केवल दस्तखत करना जानता है इसलिये विलम्ब क्षमा किया जावे। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते

हुये विलम्ब के आधार सदभाविक बताये जाने से विलम्ब क्षमा किये जाने में किसी प्रकार की अड़चन नजर नहीं आती है।

5/ पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को अनुसार एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से देखना है कि क्या आवेदक वादग्रस्त भूमि विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं ?

अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन के तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि आवेदित भूमि नहर से लगी हुई है और सड़क से एक कि0मी0 दूरी पर है। आवेदक शेष बची भूमि को उन्नत बनाने हेतु वाद विचारित भूमि विक्रय करके प्राप्त धन व्यय करेगा। कलेक्टर व्दारा आदेश के पद ''स'' में बताया है कि आवेदक व्दारा विक्रय अनुमति मांगे जाने वाली भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है जो अभिलेख में भूमिस्वामी हक में दर्ज है अर्थात आवेदित भूमि पट्टे की भूमि नहीं है। वेसे भी शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि पर पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष व्ययतीत होने पर पट्टाग्रहीता भी भूमिस्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

6/ प्रकरण में आये तथ्यों से परिलखित है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त नहीं है। आवेदक अनुसूचित जनजाति संवर्ग का है जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7-ख) प्रतिबन्धित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमिस्वामी बिना सक्षम

अनुमति के भूमि का विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबन्ध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबन्ध शासकीय गाईड लायन के मान से निर्धारित दर पर अनावेदक कमांक 2 के साथ किया है, जो शासन व्दारा निर्धारित गाईड लायन के मान से विक्रय मूल्य देने तैयार है परिणामतः आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है, किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्र.क्र. 281 अ-21/13-14 मेंपारित आदेश दिनांक 02.03.2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव आवेदक को ग्राम पिड़रई स्थित भूमि सर्वे कमांक 87 रकबा 0.33 हैक्टर के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्तांकित भूमि का विक्रय पत्र संपादित करते समय शासकीय गाईड लायन के मान से आवेदक विक्रेता को विक्रय धन प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ? उप पंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय पत्र संपादित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर